

(43)
राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

(60)

क्रमांक ए0 3(54)नवि/3/2011

जयपुर, दिनांक : 12-11-2012

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भ :- आपका पत्रांक 962 दिनांक 08.11.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है की राज्य के नगरीय क्षेत्रों को विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान एवं निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित किये जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 में राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

(I) आवेदकों द्वारा जमा राशि का विवरण, अदेय प्रमाण पत्र इत्यादि

1. अदेय प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।
2. पश्चातवर्ती क्रेता के पक्ष में नियमितकरण बाबत (वर्तमान प्रावधानों के अनुसार)।
3. बकाया लीज/एक मुश्त लीज राशि बाबत।
4. बकाया राशि के संबंध में।

(II) आवासों के आवंटन, कब्जा इत्यादि

1. वरीयता क्रमांक के बारे में सूचना।
2. पूर्वग्रहण राशि पत्र के संबंध में सूचना।
3. आवंटन के संबंध में जानकारी।
4. कब्जा दिये जाने के संबंध में।
5. किराया क्रय पद्धति पर आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।
6. मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरणों के संबंध में।
7. पंजीयन से संबंधित जानकारी।
8. पंजीयन के बाद आवासों के हस्तान्तरण के संबंध में।
9. रिफण्ड प्रकरण।
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबन्ध के संबंध में।

(III) मू-पट्टीयों का निस्तारण

(IV) अहस्तान्तरित आवासीय कॉलोनी के सड़कों की सफाई आदि कार्य - जो कालोनियों अभी तक रख-रखव के लिए नगर निकायों को हस्तान्तरित नहीं की गई है उन कॉलोनीयों में सड़कों की सफाई एवं अन्य नागरिक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि के लिए प्राप्त शिकायतों और मांगों का भी निस्तारण इन कैम्पों में किया जावे।

उक्त कार्यों का प्रगति विवरण दिनांक 21.11.2012 से दिनांक 25.11.2012 तक शिविर अवधि में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे तक आवश्यक रूप से इस विभाग को एवं निदेशक, स्थानीय निकाय कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

महोदय,
[Signature]
12/11/2012
शासन उप सचिव-प्रथम